



☎ : (कार्या.) 221900, (निवास) 222622

फ़ेक्स : 07582 - 222070, 224543

E-mail : dmsagar@nic.in

## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

क्रमांक 138/स्टेनो/2020

सागर, दिनांक 23-04-2020

### आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 114/स्टेनो/2020 दिनांक 10-04-2020 से बजरिया चौराहा, पुलिस चौकी के पास, कृष्णगंज वार्ड, वार्ड क्रमांक-8 सागर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्थाओं के प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार अधिकारियों ड्यूटी लगाई जाती है :-

क्रमांक	सामग्री/गतिविधि	जिम्मेदार अधिकारी का नाम, पदनाम तथा मो.नं.	अधिकारी को सौंपे गये कार्य का विवरण
1-	दूध आपूर्ति	श्री के0एस0 मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, दुग्ध संघ सागर मो.नं. 94069-00255, 79872-56268	दूध की घर-घर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। कंटेनमेंट एरिया के अंदर के दूध विक्रेताओं को भी सप्लाई करेंगे। दिन में दो-बार वाहन अंदर जा सकेगा। बाहर आने पर वाहन को अनिवार्यतः सेनेटाईज किया जावेगा तथा इस वाहन से अन्यत्र दूध की सप्लाई नहीं होगी।
2-	किराना	श्री प्रणय कमल खरे, उपायुक्त नगर पालिक निगम सागर मो.नं. 9669111100	कंटेनमेंट एरिया के अंदर की दुकाने केवल अपने मुहल्ले में होम डिलेवरी कर पायेंगी। होम डिलेवरी करने वाले व्यक्ति का मास्क तथा ग्लब्ज पहनाना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में लोगों को दुकान से विक्रय नहीं किया जा सकेगा। किराने के थोक व्यापारी केवल कंटेनमेंट एरिया के एन्ट्री प्वाइंट तक ही किराना सामग्री लायेंगे तथा वहां से कंटेनमेंट एरिया में स्थित किराना दुकानदारों को सौंप देंगे।
3-	सब्जी	1-श्री रामप्रकाश अहिरवार, आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर मो.नं. 98267-75365	सब्जी के थोक व्यापारी कंटेनमेंट एरिया के एन्ट्री प्वाइंट तक अपने वाहन में थोक सब्जी ला सकेंगे तथा एन्ट्री प्वाइंट पर कंटेनमेंट एरिया के सब्जी विक्रेताओं को सौंप देंगे।

Adl. Distt. Magistrate  
Distt. Sagar (M.P.)

